बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9/आ0–01–17/2019(स्वा0) 1311(9) **/पटना, दिनांकः–** 17.12.24

डॉ0 जगदीश सिंह, तत्कालीन सिविल सर्जन, भोजपुर के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2018–19 में अधीनस्थ संस्थानो से दवाओ का अधियाचना प्राप्त किए बिना दवा एवं मशीन का क्रय करने एवं राशि की उपयोगिता के संबंध में तथ्यो को छिपाकर 14,82,30,000/– रु० का आवंटन प्राप्त करने, वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के पूर्व के आपूर्तिकर्त्ता को 9,20,94,785/– रु० का भुगतान करने एव वित्तीय वर्ष 2018–19 में 4,73,40,613/– रु० का NON EDL में सूचिबद्ध दवाओ का क्रय करने, श्री कृष्णा इन्टरप्राईजेज द्वारा निविदा प्रक्रिया में शामिल नहीं होने के बाजवूद डॉ0 सिंह के पत्रांक–1114 दिनांक–18.03.2019 द्वारा 500/– रु० की दर से 800 (आठ सौ) मच्छरदानी क्रय करने, आपूर्ति किये गए दवाओ की गुणवक्ता की जॉच नहीं कराने के आरोप में विभागीय सकल्प सं0–334(9) दिनांक–30.05.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) में डॉ0 सिंह के विरूद्ध अनुबध में गठित आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) की छायाप्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–393(9) दिनांक–20.04.2023 द्वारा डॉ0 सिंह से द्वितीय कारण–पृच्छा की मॉग की गयी।

3. डॉ0 सिंह द्वारा प्रत्युत्तर समर्पित कर अवगत कराया गया है कि जिले की जनसंख्या को दृष्टिपथ में रखकर दवा का क्रय किया गया। आवंटन के अभाव में आपूर्तिकर्त्ता को भुगतान नहीं किया गया। आपूर्तिकर्त्ता के बकाया के संबंध में विभाग को सूचना दी गयी थी। दवाओ के आपूर्ति हेतु BMSICL को अधियाचना भेजी गयी थी। दवा आपूर्ति नहीं होने के फलस्वरूप निविदा प्रकाशित कर दवा का क्रय किया गया। Cough syrup का आपूर्ति नहीं होने के फलस्वरूप स्थानीय स्तर पर क्रय किया गया। कोटेशन के निस्तारन में कृष्णा इन्टरप्राईजेज का दर न्यूनतम होने पर मच्छरदानी का क्रय किया गया। औषधि निरीक्षक को आपूर्ति किए गए दवा की गुणवक्ता की जॉच हेतु नमुना दिया गया था।

4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डॉ0 सिंह के विरूद्ध गठित आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) एवं उनसे प्राप्त प्रत्युत्तर के समीक्षोपरान्त पाया गया कि डॉ0 सिंह द्वारा भोजपुर जिलान्तर्गत अधीनस्थ संस्थानो से दवाओ एवं उपकरणों की अधियाचना प्राप्त किये बिना ही आपूर्तिकर्त्ता से क्रय करने हेतु निविदा प्रकाशित किया गया। पूर्व के आपूर्तिकर्ता के बकाये राशि के तथ्यों को छिपाते हुए विभाग से 14,82,30,000/– रु० आवंटन प्राप्त किया गया। जिसमे से 9,20,94,785/– रु० वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में आपूर्तिकर्त्ता के बकाये राशि का भुगतान किया गया। BMSICL को 71,29, 381/– रु० भुगतान किया गया। अनियमित रूप से दवा के खपत आकलन किये बिना 4,73,40,613/– रु० का NON EDL में सूचीबद्ध दवाओ को दवा सामग्री एंव उपकरण का क्रय किया गया। अतएव डॉ0 जगदीश सिंह, तत्कालीन सिविल सर्जन, भोजपुर के विरूद्ध अधिसूचना निर्गत की तिथि से 20% (बीस) प्रतिशत पेंशन की राशि स्थायी रूप से कटौती करने का विनिश्चय किया गया।

5. विभागीय पत्रांक–448(9) दिनांक–28.06.2024 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से सहमति की मॉग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्राक–3487 दिनांक– 10 12 2024 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त किया गया।

17/12/2024

6. डॉ0 जगदीश सिह, तत्कालीन सिविल सर्जन, भोजपुर के विरूद्ध तथ्यो को छिपाकर अनियमित रूप से आवंटन प्राप्त करने एवं स्थापित नियमो की अवहेलना करते हुए अनियमित रूप से दवा, सामग्री एवं उपकरण के क्रय करने के लिए प्रमाणित आरोप के आलोक में अधिसूचना निर्गत की तिथि से 20% (बीस) प्रतिशत पेशन की राशि स्थायी रूप से कटौती करने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

7. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

17/12/2024

(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–01–17/2019(स्वा0) 1311(9) **/ पटना, दिनांकः–** 17.12.24

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं ह0) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, भोजपुर/कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवाये, पटना प्रमंडल, पटना/सिविल सर्जन, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि.–डॉ0 जगदीश सिंह, तत्कालीन सिविल सर्जन, भोजपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त पत्राचार का पता–आर0के0मिशन रोड, दक्षिण भटठा आनन्दपुरी, पूर्णियॉ, पिनकोड– 854301 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:–प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

17/12/2024

सरकार के अवर सचिव।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9 / आ0–01–17 / 2019(स्वा0) ..... / पटना, दिनांकः–.....

डॉ0 जगदीश सिंह, तत्कालीन सिविल सर्जन, भोजपुर के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2018–19 में अधीनस्थ संस्थानो से दवाओ का अधियाचना प्राप्त किए बिना दवा एवं मशीन का क्रय करने एवं राशि की उपयोगिता के संबंध में तथ्यो को छिपाकर 14,82,30,000 / – रु० का आवंटन प्राप्त करने, वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के पूर्व के आपूर्तिकर्त्ता को 9,20,94,785 / – रु० का भुगतान करने एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 में 4,73,40,613 / – रु० का NON EDL में सूचिबद्ध दवाओ का क्रय करने, श्री कृष्णा इन्टरप्राईजेज द्वारा निविदा प्रक्रिया में शामिल नहीं होने के बाजवूद डॉ0 सिंह के पत्रांक–1114 दिनांक–18.03.2019 द्वारा 500 / – रु० की दर से 800 (आठ सौ) मच्छरदानी क्रय करने, आपूर्ति किये गए दवाओ की गुणवक्ता की जॉच नहीं कराने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0–334(9) दिनांक–30.05.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. सचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) में डॉ0 सिंह के विरूद्ध अनुबंध मे गठित आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) की छायाप्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–393(9) दिनांक–20.04 2023 द्वारा डॉ0 सिंह से द्वितीय कारण–पृच्छा की मॉग की गयी।

3. डॉ0 सिंह द्वारा प्रत्युत्तर समर्पित कर अवगत कराया गया है कि जिले की जनसंख्या को दृष्टिपथ में रखकर दवा का क्रय किया गया। आवंटन के अभाव में आपूर्तिकर्त्ता को भुगतान नहीं किया गया। आपूर्तिकर्त्ता के बकाया के संबंध में विभाग को सूचना दी गयी थी। दवाओ के आपूर्ति हेतु BMSICL को अधियाचना भेजी गयी थी। दवा आपूर्ति नहीं होने के फलस्वरूप निविदा प्रकाशित कर दवा का क्रय किया गया। Cough syrup का आपूर्ति नहीं होने के फलस्वरूप स्थानीय स्तर पर क्रय किया गया। कोटेशन के निस्तारन में कृष्णा इन्टरप्राईजेज का दर न्यूनतम होने पर मच्छरदानी का क्रय किया गया। औषधि निरीक्षक को आपूर्ति किए गए दवा की गुणवक्ता की जॉच हेतु नमुना दिया गया था।

4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डॉ0 सिंह के विरूद्ध गठित आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) एवं उनसे प्राप्त प्रत्युत्तर के समीक्षोपरान्त पाया गया कि डॉ0 सिंह द्वारा भोजपुर जिलान्तर्गत अधीनस्थ संस्थानो से दवाओ एवं उपकरणों की अधियाचना प्राप्त किये बिना ही आपूर्तिकर्त्ता से क्रय करने हेतु निविदा प्रकाशित किया गया। पूर्व के आपूर्तिकर्ता के बकाये राशि के तथ्यों को छिपाते हुए विभाग से 14,82,30,000 / – रु० आवंटन प्राप्त किया गया। जिसमें से 9,20,94,785 / – रु० वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में आपूर्तिकर्त्ता के बकाये राशि का भुगतान किया गया। BMSICL को 71,29, 381 / – रु० भुगतान किया गया। अनियमित रूप से दवा के खपत आकलन किये बिना 4,73,40,613 / – रु० का NON EDL में सूचीबद्ध दवाओ को दवा सामग्री एंव उपकरण का क्रय किया गया। अतएव डॉ0 जगदीश सिंह, तत्कालीन सिविल सर्जन, भोजपुर के विरूद्ध अधिसूचना निर्गत की तिथि से 20% (बीस) प्रतिशत पेंशन की राशि स्थायी रूप से कटौती करने का विनिश्चय किया गया।

5. विभागीय पत्रांक–448(9) दिनांक–28.06.2024 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से सहमति की मॉग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–3487 दिनांक– 10.12.2024 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त किया गया।

17/12/2025

15

6. डॉ0 जगदीश सिंह, तत्कालीन सिविल सर्जन, भोजपुर के विरूद्ध तथ्यो को छिपाकर अनियमित रूप से आवंटन प्राप्त करने एवं स्थापित नियमो की अवहेलना करते हुए अनियमित रूप से दवा, सामग्री एवं उपकरण के क्रय करने के लिए प्रमाणित आरोप के आलोक में अधिसूचना निर्गत की तिथि से 20% (बीस) प्रतिशत पेंशन की राशि स्थायी रूप से कटौती करने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

7. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

Sd/-

(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–01–17/2019(स्वा0) 1311(9) **/ पटना, दिनांकः–** 17.12.24

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं ह0) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, भोजपुर/कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, पटना प्रमडल, पटना/सिविल सर्जन, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डॉ0 जगदीश सिंह, तत्कालीन सिविल सर्जन, भोजपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त पत्राचार का पता–आर0के0मिशन रोड, दक्षिण भटठा आनन्दपुरी, पूर्णियॉ, पिनकोड– 854301 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

17/12/2024

सरकार के अवर सचिव।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9/आ०–01–13/2016(स्वा0) ..... /पटना, दिनांकः–.....

डा0 कमलाकान्त सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वीर, धनरूआ, पटना के विरूद्ध दिनांक–01.05.2014 से 10.05.2016 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0–505(9) दिनांक–10.05.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से असहमति के बिन्दु का उल्लेख करते हुए विभागीय पत्रांक–847(9) दिनांक–03.08.2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के निहित प्रक्रिया एवं प्रावधान तथा समादेश याचिका सं0–9812/2016 में दिनांक–28.08.2017 को पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय अधिसूचना सं0–1231(9) दिनांक–05.12.2017 द्वारा डा0 सिंह के विरूद्ध अनुपस्थिति अवधि (दिनांक–01.05.2014 से 10.05.2016) को असाधारण अवकाश में स्वीकृत एवं पेशन हेतु गणना करने, असंचयात्मक प्रभाव से तीन वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित की गयी।

2. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धनरूआ, पटना के पत्रांक–9 दिनांक–02.01.2018 एवं पत्रांक–793 दिनांक–05.10.2021 द्वारा डा0 सिंह के विरूद्ध दिनांक–10.05.2016 से 28.02.2018 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप प्रतिवेदित किया गया। विभागीय पत्रांक–648(9) दिनांक–21.06.2023 द्वारा डा0 सिंह से स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

3. डा0 सिंह द्वारा अधिरोपित शास्ति के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में समादेश याचिका सं0–1367/2018 दायर किया गया। जिसमें दिनांक–16.01.2019 को पारित आदेश में डा0 सिंह के विरूद्ध अधिरोपित शास्ति को खारिज करते हुए उनके द्वितीय कारण–पृच्छा पर सकारण आदेश पारित करने का निदेश दिया गया।

4. विभागीय पत्रांक–648(9) दिनांक–21.06.2023 द्वारा डा0 सिंह को दिनांक–11.05.2016 से 28.02 2018 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में बचाव अभिकथन समर्पित करने का निदेश दिया गया। तदालोक में उनके द्वारा दिनांक–13.07.2023 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। डा0 सिंह द्वारा समर्पित अभिकथन की सत्यता की जाँच हेतु विभागीय पत्रांक–983(9) दिनांक–15.09.2023 द्वारा क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमण्डल, पटना को प्राधिकृत किया गया। क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमण्डल, पटना के पत्रांक–22 दिनांक–09.01.2024 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि डा0 सिंह द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों को मूल अभिलेख संस्थान में उपलब्ध नहीं है।

5. विभागीय अधिसूचना सं0–341(9) दिनांक–15.04.2024 द्वारा समादेश याचिका सं0–1367/2018 में दिनांक–16.01.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में डा0 सिंह के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं0–1231(9) दिनांक–05.12.2017 द्वारा अधिरोपित शास्ति को निरस्त किया गया।

6. विभागीय संशोधित संकल्प सं0–340(9) दिनांक–15.04.2024 द्वारा डा0 सिंह के दिनांक–28.02.2018 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके सेवाकाल में संचालित विभागीय कार्यवाही को 43(बी०) के अधीन सम्परिवर्तित किया गया।

7. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धनरूआ, पटना के पत्रांक–1047 दिनांक–16.08.2017, सिविल सर्जन, पटना के पत्रांक–4489 दिनांक–30.05.2017 एवं क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना प्रमण्डल, पटना के पत्रांक–22 दिनांक–09.01.2024 सह पठित पत्रांक–849 दिनांक–26.12.2023 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के सम्यक

16/2/2024

(15)

समीक्षोपरांत पाया गया कि डा0 सिंह द्वारा कूट रचना कर अपने उपस्थिति से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध कराया गया है। अतएव उनके द्वारा दिनांक–10.07.2017 को समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर स्वीकारणीय योग्य नहीं पाया गया। डा0 सिंह के विरूद्ध दिनांक–01.05.2014 से 10.05.2016 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(क) के अधीन सेवानिवृत्ति की तिथि से 5% (पॉच) प्रतिशत पेंशन की राशि 10 (दस) वर्षो तक कटौती करने एवं आलोच्य अवधि के अतिरिक्त दिनांक–11.05.2016 से 28.02.2018 तक के अनुपस्थिति अवधि को कार्य नही तो वेतन नहीं के आधार पर उक्त अवधि का पेंशनादि हेतु किसी परियोजन के लिए गणना नहीं करने का विनिश्चय किया गया।

8. विभागीय पत्रांक–342(9) दिनांक–15.04.2024 द्वारा डा0 सिह के विरूद्ध प्रस्तावित दण्ड पर बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति की मॉग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–2582 दिनांक–07.10.2024 द्वारा प्रस्तावित दण्ड पर सहमति व्यक्त किया गया।

9. डा0 कमलाकान्त सिंह, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वीर, धनरूआ, पटना के विरूद्ध दिनांक–01.05.2014 से 10.05.2016 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवानिवृत्ति की तिथि से 5% (पॉच) प्रतिशत पेशन की राशि 10 (दस) वर्षो तक कटौती करने की शास्ति अधिरोपित करने एवं आलोच्य अवधि के अतिरिक्त दिनांक–11.05.2016 से 28.02.2018 तक के अनुपस्थिति अवधि को कार्य नही तो वेतन नहीं के आधार पर उक्त अवधि का पेंशनादि हेतु किसी परियोजन के लिए गणना नहीं करने का विनिश्चय संसूचित की जाती है।

10. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ०–01–13/2016(स्वा0) 1318(9) **/ पटना, दिनांकः–** 17.12.24

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले० एवं ह०) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, पटना प्रमंडल, पटना/सिविल सर्जन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डा0 कमलाकान्त सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वीर, धनरूआ, पटना (सम्प्रति सेवानिवृत्त) पत्राचार का पता–पिता–स्व० राम सूरत सिंह, खाजपुरा, बेलीरोड, रूकनपुरा, बी०भी० कॉलेज, पटना–800014 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

16/12/2024
सरकार के अवर सचिव।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9/आ0–02–14/2022(स्वा0) ..... / पटना, दिनांकः–.....

डॉ0 अशोक कुमार सिंह, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फतेहपुर, गया के विरूद्ध वित्तीय वर्ष–2015–16 में 3,07,050/– वित्तीय वर्ष–2016–17 में 3,68,550/– एवं वित्तीय वर्ष–2017–18 में 1,30,050/– अर्थात् कुल 8,05,650/– अधिक भुगतान करने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0–1590(9) दिनांक–27.12.2019 एवं संशोधित संकल्प सं0–985(9) दिनांक–10.09.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) में डॉ0 सिंह के विरूद्ध अनुबंध में गठित आरोप को प्रमाणित होने का मतव्य दिया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) की छायाप्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–178(9) दिनांक–20.04.2022 द्वारा डॉ0 सिंह से द्वितीय कारण–पृच्छा की मॉग की गयी।

3. डॉ0 सिंह द्वारा दिनांक–12.05.2022 को द्वितीय कारण–पृच्छा प्रत्युत्तर समर्पित किया गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि कर्त्तव्य पर उपस्थित चिकित्सक द्वारा जेनरेटर के विपत्र को सत्यापित किया गया। संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए अभिकथन को पुनः अकित किया गया है।

4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डॉ0 सिंह के विरूद्ध गठित आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) एवं उनसे प्राप्त प्रत्युत्तर के समीक्षोपरान्त जेनरेटर संचालक को कुल–8,05,650/– रू0 अधिक भुगतान करने के आरोप में संचयी प्रभाव से साथ तीन वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

5. विभागीय पत्रांक–574(9) दिनांक–31.05.2023 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से सहमति की मॉग की गयी।

6. डॉ0 अशोक कुमार सिंह, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फतेहपुर, गया के विरूद्ध जेनरेटर संचालक को कुल–8,05,650/– (आठ लाख पॉच हजार छः सौ पचास) रूपये की अधिक भुगतान करने के प्रमाणित आरोप के लिए सचयी प्रभाव के साथ 03 (तीन) वार्षिक वेतनवृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

7. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–02–14/2022(स्वा0) 1317(9) **/ पटना, दिनांकः–** 17.12.24

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले एवं ह0) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, गया/कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, मगध प्रमंडल, गया/सिविल सर्जन, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।।

प्रतिलिपिः–माननीय उप मुख्य (स्वा0) मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

17/12/2024

(15)

प्रतिलिपिः—डॉ0 अशोक कुमार सिंह, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फतेहपुर, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

17/12/2024

सरकार के अवर सचिव।